

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 01 मार्च , 2023

समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण

समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (News Broadcasting and Digital Standards Authority- NBDSA) ने कुछ समाचार चैनलों को आचार संहिता एवं प्रसारण मानकों तथा वशिष्ट दिशा-निर्देशों के उल्लंघन कर प्रसारित कुछ कार्यक्रमों के वीडियो को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। NBDSA न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है, जो नज्जी टेलीविज़न समाचार, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करता है। यह खुद के भारत में समाचार, करंट अफेयर्स एवं डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स की सामूहिक आवाज़ के रूप में वर्णित करता है। यह पूरी तरह से इसके सदस्यों द्वारा वित्तपोषित है। इसका उद्देश्य अपने सभी सदस्यों के अनुचित और/या अनैतिक व्यवहार को रोकना या टेलीविज़न समाचार प्रसारकों, डिजिटल समाचार मीडिया तथा अन्य संबंधित संस्थाओं को बदनाम होने से बचना है।

और पढ़ें... [इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु नैतिक संहिता](#)

शिकायत अपीलीय समिति पोर्टल

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत शिकायत अपीलीय समिति पोर्टल की शुरुआत की, यह सरकार द्वारा गठित तीन समितियों की मदद से उन लोगों की समस्या का निवारण किये जाने की सुविधा प्रदान करता है, जो इंटरनेट सामग्री को हटाए जाने के अनुरोधों पर सोशल मीडिया कंपनियों को किये गए शिकायत से असंतुष्ट हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया नीतिगत संहिता) के नियम, 2021 में वर्ष 2022 में संशोधन किया गया था, ताकि सोशल मीडिया कंपनियों को संवधान के तहत अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 द्वारा नागरिकों को दिये गए सभी अधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य किया जाए। नतीजतन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब उन अभिव्यक्तियों की अनुमति देने के लिये बाध्य किया जा सकता है जो नज्जी तौर पर अवैध हो सकते हैं परंतु सार्वजनिक रूप से वैध हैं। जनवरी 2023 में सरकार ने तीन GACs (Grievance Appellate Committee) के गठन को अधिसूचित किया जो सोशल मीडिया तथा अन्य इंटरनेट-आधारित प्लेटफॉर्मों के खिलाफ उपयोगकर्ता की शिकायतों का समाधान करेगी। इसके अतिरिक्त इन पैनों के पास सामग्री मॉडरेशन के संबंध में इन प्लेटफॉर्मों द्वारा किये गए नरिण्यों की निगरानी करने और उन नरिण्यों को रद्द करने का अधिकार होगा।

और पढ़ें... [GACs करेंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायतों का समाधान, भारत द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नियम में संशोधन](#)

वशिव गैर-सरकारी संगठन दविस

प्रतिवर्ष वशिव भर के गैर-सरकारी संगठन (Non-Governmental Organizations- NGOs) 27 फरवरी को वशिव NGO दविस मनाते हैं। इस वर्ष छह महाद्वीपों के 89 से अधिक देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय NGO दविस मनाया गया। वशिव NGO दविस-2023 की थीम मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका एवं प्रभाव पर आधारित है। 17 अप्रैल, 2010 को IX बाल्टिक सागर NGO फोरम के 12 सदस्यीय देशों द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दिये जाने पर इस दिन को आधिकारिक दर्जा प्राप्त हुआ। वर्ष 2012 में फोरम के अंतिम वक्तव्य संकल्प के तहत इसे मान्यता दी गई थी। यद्यपि इस दिन को आधिकारिक तौर पर 2010 में मान्यता दी गई थी और पहली बार वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वशिव NGO दविस मनाया गया था। NGO गैर-लाभकारी संगठन हैं जो लोगों, जानवरों और समुदायों को प्रभावित करने वाली कई मानवीय मामलों के समाधान का समर्थन करते हैं। ये संगठन स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकरियों समेत विविध क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते हैं।

और पढ़ें... <https://www.drishtias.com/hindi/daily-news-analysis/world-ngo-day>

सियांग उनगि महोत्सव

- हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्रों ने सियांग उनगि महोत्सव (Siang Unying Festival) में भाग लिया जो अरुणाचल प्रदेश के बोलेंग में आदि समुदाय का एक महत्त्वपूर्ण त्योहार है।
- उनगि का त्योहार खेती के मौसम, आदि समुदाय के नए साल की शुरुआत, वसंत ऋतु के आगमन के साथ-साथ समुदाय के बीच बंधन को मज़बूत करने हेतु मनाया जाता है। माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजात (Adi Tribe) 16वीं शताब्दी में दक्षिणी चीन से आई थी। यह तिब्बती-बर्मी भाषा बोलने वाली आबादी है। वे सुदूर उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग और नचिली दबांग घाटी जिलों में रहते

हैं। आदिमसमुदाय के लोग बेंत और बाँस की वस्तुएँ बनाने में विशेषज्ञ होते हैं। **सोलंग** (कटाई का त्योहार जहाँ जानवरों की बलि और अनुष्ठान किये जाते हैं) और **अरन (Aran)** (एक शकियार त्योहार जहाँ परिवार के सभी पुरुष सदस्य शकियार हेतु जाते हैं) भी आदिजनजातियों के प्रमुख त्योहारों में से हैं।

और पढ़ें... [वभिन्न जनजातियों के अनुष्ठान](#)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-01-march-2023>

